न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 28/2022

अपीलार्थी

वरदीचंद पुत्र मगारामजी, जाति– पुरोहित, निवासी– आकुना, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–ः निर्णय ः– **दिनांक 04 दिसम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम आकूना, पटवार हल्का मण्डीया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 17.9.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 11.10.2023 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम आकूना, पटवार हल्का मडीया में अपीलार्थी व अपीलार्थी के भाईयों के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 804/146 रकबा 2.8300 हेक्टेयर है। उक्त कृषि को अपीलार्थी के पिता ने पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। अपीलार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि को अपीलाधीन नामान्तरकरण के द्वारा एक किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी मौके पर काबिज होकर अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है, फिर भी अपीलार्थी की कृषि भूमि को अपीलार्थी की जानकारी के बिना पीठ पीछे अपीलाधीन नामान्तरकरण के द्वारा अन्य सह खातेदारों के साथ सम्मिलित किया गया है। यह कि अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय श्री मगाराम पुत्र मोतीजी पुरोहित ने ग्राम आकुना के पुराने खसरा संख्या 139 जिसके नये खसरा संख्या 146 कुल भूमि 37 बीघा 10 बिस्वा में से 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 28 दिनांक 06.5.2022 के द्वारा खातेदार भंवरसिंह वगैराह से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूमि को खरीद करने के बाद अपीलार्थी के पिता मगाराम जी के नाम से विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया तथा राजस्व रेकर्ड नक्शा में खरीद की गई भूमि को तरमीम कर अंकन किया गया। यह कि वर्तमान भू प्रबन्ध के दौरान अपीलार्थी के पिता द्वारा उक्त क्रय की गई भूमि को जमाबंदी व नक्शा से हटाकर सम्पूर्ण भूमि विक्रेतागण के नाम से अंकित कर दिया, जिस पर अपीलार्थी के पिता ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी [illegible] के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रार्थना पत्र संख्या 126/2008 में न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.), सिरोही द्वारा दिनांक [illegible] कर यह आदेश दिया गया कि "ग्राम आकूना में प्रार्थी [illegible] 17 बीघा 10 बिस्वा [illegible] वर्तमान [illegible] दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जमाबंदी में अंकन व मूल राजस्व नक्शा लट्ठा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त करे।'' उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि को खसरा संख्या 804/146 दर्ज किया गया तथा राजस्व अभिलेख नक्शा में भी तरमीम किया गया, उसके बाद अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 350 के द्वारा अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि को पुनः एक किया गया है, जो गलत व विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी के पिता मगाराम जी ने विक्रेता भंवरसिंह वगैराह से उनके खातेदारी की भूमि का विशेष भू भाग जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीकर कब्जा प्राप्त किया है, यदि विक्रेता के पास जमाबंदी में वर्णित अनुसार भूमि राजस्व नक्शा में उपलब्ध नही है तो अपीलार्थी को उसके खातेदारी की भूमि से वंचित नही किया जा सकता है। उक्त विवाद विक्रेता भंवरसिंह वगैराह व राजस्व विभाग के मध्य का है, जिसमें अपीलार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है। यह कि न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), सिरोही के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 126/2008 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.12.2010 की पालना में राजस्व अभिलेख में की गई दुरुस्ती को निरस्त करने का अधीनस्थ उप तहसीलदार को कोई अधिकार नही था, फिर भी बिना किसी अधिकार के अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। यह कि न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.), सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 126/2008 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.12.2010 को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है तथा उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 06.12.2010 के प्रभावी व अस्तित्व में रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर व स्वीकृत नही किया जा सकता था। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम आकूना, पटवार हल्का मडिया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 17.9.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम आकूना के खसरा संख्या 146 रकबा 6.07 हेक्टेयर भूमि में अपीलार्थी भी वर्तमान में सह खातेदार दर्ज है। यह कि न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 126/2008 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.12.2010 की पालना में दायर होकर स्वीकृत हुए नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 18.8.2011 के द्वारा खसरा संख्या 146 में से खसरा संख्या 146/804 रकबा 2.83 हेक्टेयर का अपीलार्थी के पिता मगाराम जी पुत्र मोती जी पुरोहित, निवासी– आकूना को पृथक से खातेदार दर्ज किया गया, लेकिन ग्राम आकूना के नक्शा लट्ठा में खसरा संख्या 146 में किसी तरह की कोई तरमीम दर्ज नही है। यह कि खसरा संख्या 146/804 के खातेदार मगाराम पुत्र मोतीजी पुरोहित की मृत्यु होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 25.8.2014 के द्वारा मृतक खातेदार मगाराम पुत्र मोतीजी पुरोहित के उत्तराधिकारी श्री खीमाराम, गोविन्द कुमार, श्री वरदीचंद पिसरान मगाराम जी, राधा पुत्री मगाराम जी व टीपूबाई पत्नी मगाराम जी पुरोहित को राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज किया गया। यह कि सेग्रिगेशन के समय उक्त खसरा संख्या 146 में से खसरा संख्या 804/146 की नक्शें में तरमीम नही होने से उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांकःराजस्व/2018/1990 दिनांक 12.6.2018 एवं तहसीलदार, सिरोही के आदेश क्रमांकःभू.अ./2018/2312 दिनांक 23.6.2018 की पालना में खसरा एकीकरण हेतु नामान्तरकरण संख्या 350 दायर किया गया, जो उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा दिनांक 17.9.2018 को हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम आकूना, पटवार हल्का आकूना के खसरा संख्या 804/146 रकबा 2.8300 हेक्टेयर किस्म बा. 2 भूमि व खसरा संख्या 804 रकबा 3.2400 हेक्टेयर किस्म बारं. 2 भूमि के खसरा एकीकरण को उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

क्रमांकःराजस्व/2018/1990 दिनांक 12.6.2018 की पालना में हल्का पटवारी, मडीया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 350 दायर किया गया, जो भू अभिलेख निरीक्षक, तंवरी की जांच के बाद उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा दिनांक 17.9.2018 को स्वीकृत किया गया है। उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 17.9.2018 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.1.2023 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया गया है।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब से यह तथ्य स्पष्ट है कि सेग्रीग्रेशन के समय उक्त खसरा संख्या 804/146 रकबा 2.83 हेक्टेयर की तरमीम नही होने से उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांकःराजस्व/2018/1990 दिनांक 12.6.2018 की पालना में हल्का पटवारी, मडीया द्वारा खसरा एकीकरण का नामान्तरकरण संख्या 350 दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा दिनांक 17.9.2018 को स्वीकृत किया गया है, लेकिन अपीलार्थी ने उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांकःराजस्व/2018/1990 दिनांक 12.6.2018 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नही कर उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश की पालना में दायर होकर स्वीकृत नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested